न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 95/2018

1. हेमकंवर पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 3 वी ढाणी केसरीसिंहपुर।
2. पाबूदान सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 3 वी ढाणी केसरीसिंहपुर।
3. विक्रमजीत सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 3 वी ढाणी केसरीसिंहपुर।
4. भागीरथ सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 3 वी ढाणी केसरीसिंहपुर।
5. देवेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 3 वी ढाणी केसरीसिंहपुर।

--वादीगण--

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी जोधो का वास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. मोहन सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी जोधो का वास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. कमलकंवर पुत्री प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी जोधो का वास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. सज्जनकंवर पुत्री प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी जोधो का वास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

--प्रतिवादीगण--

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए

--निर्णय--दिनांक : 4/2/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 3 के खाता संख्या 51/44 के मु0 न0 15 के किला न0 1, 2, 3, 8 ता 13, 17 ता 24 प्रत्येक 253 है0 कुल 4.301 है0 नहरी व मु0 न0 22 क किला न0 1 ता 4 प्रत्येक के 0.253 है0 नहरी ल 1.012 है0 नहरी भूमि व मु0 न0 27 के किला न0 1,2,9,10,11,20,21 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 771 है0 नहरी भूमि व मु0 न0 34 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 265 है0 नहरी भूमि खाता की कुल 8.349 है0 यानि 33 बीघा नहरी भूमि मगनकंवर पत्नी प्रताप सिंह ी मेघ सिंह जाति राजपूत निवासी जोधा का वास रावतसर के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदारी दर्ज है। ानकंवर ने अपनी उक्त भूमि मे से चक 3 वी के मु0न0 22 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक सालम लम व मु0 न0 15 के किला न0 13 सालम कुल 5 बीघा वादी संख्या 1 हेमकंवर के नाम, मु0न0 15 किला न0 21 ता 24 प्रत्येक सालम सालम वादी संख्या 2 पाबूदान सिंह के नाम, मु0न0 34 के किला 0 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक सालम सालम, मु0 न0 27 के किला न0 1, 2, 9, 10, 11, 20, 21 त्येक सालम सालम व मु0 न0 15 के किला न0 11, 12 प्रत्येक सालम सालम वादी संख्या 3 विक्रमजीत सिंह के नाम एवं मु0 न0 15 के किला न 1, 2, 3, 8, 9, 10 प्रत्येक सालम सालम वादी संख्या 4 भागीरथ सिंह के नाम व मु0 न0 15 के किला न0 17 ता 20 प्रत्येक सालम सालम वादी संख्या 5 देवेन्द्र सिंह के नाम वसीयत दिनांक 22.04.1992 को तहरीर व तक्मील करवाई थी। मगनकंवर की दिनांक 28.04.1993 को मृत्यु हो चुकी है। अब वसीयत दिनांक 22.04.1992 कानूनन अस्तित्व मे आ चुकी है जिसकी रूह से वादीगण उक्त 8.349 है0 नहरी भूमि के खातेदार मालिक हो चुके है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा आपस मे मिलीभगत करके और सरपंच ग्राम पंचायत 3 वी व हल्का पटवारी से मिलीभगत करने उक्त भूमि विरासतन इंतकाल संख्या 313 दिनांक 05.05.2016 से अपने नाम दर्ज करवा ली। उक्त विरासतन इंतकाल विधि विरूद्ध दर्ज होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है व उक्त इंतकाल शुरू से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

व अवैध है। उक्त इंतकाल दर्ज किये जाने से पूर्व न तो वादीगण को सुना गया और न ही ण को कोई नोटिस जारी किया गया बल्कि उक्त इंतकाल बिना सुने एकतरफा दर्ज किया गया है जो विरूद्ध होने के कारण काबिले निरस्ती के है। मगनकंवर के नाम दर्ज उक्त 8.349 है0 नहरी भूमि कंवर स्वअर्जित भूमि है। इसके अलावा मगनकंवर हिन्दू स्त्री थी, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की 14 के अंतर्गत हिन्दू स्त्री को प्राप्त होने वाली भूमि उसकी स्वअर्जित भूमि होगी, इसलिए उक्त भूमि कंवर की स्वअर्जित भूमि थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार किसी व्यक्ति या स्त्री की मृत्यु के बाद उसकी सम्पति, उसकी वसीयत/ विल (इच्छा) के अनुसार ही न्यायगत । उक्त भूमि वसीयत की रूह से वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है तथा उक्त भूमि के मालिक दार बन चुके है। उक्त भूमि पर वादीगण शुरू से शांतिपूर्वक, बेरोकटोर लगातार काबिज काश्त चले रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं उक्त वसीयत के गवाह है। किसी भी व्यक्ति को अपनी भूमि की स्था करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। अपनी भूमि बाबत मगनकंवर को सभी अधिकार प्राप्त थे तथा नकंवर उक्त भूमि की वसीयत अपनी इच्छानुसार करने के लिये स्वतंत्र थी। दावा दायरी से दो रोज पूर्व गण प्रतिवादीगण से मिले तथा उन्हे उक्त भूमि का विरास्तन इंतकाल संख्या 313 को निरस्त करवाने लिये कहा और यह भी कहा कि वे वसीयत की रूह से उक्त भूमि का इंतकाल हमारे नाम से दर्ज वा देवे, तब प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इंकार करते हुए कहा कि हमने तो उक्त भूमि गलत आधारों पर ने नाम दर्ज करवा ली है। अब हम उक्त इंतकाल निरस्त नही करवायेगे और उक्त भूमि को अन्यत्र ान करके खुर्द बुर्द कर देगे और तुम्हे तुम्हारी भूमि से महरूम कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण हम वादीगण उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने में कामयाब हो गये तो हम वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान गा। इसलिए वादीगण उक्त इंतकाल संख्या 313 निरस्त करवाकर उक्त भूमि वसीयत की रूह से अपने म खातेदारी घोषित करवा पाने के अधिकारी हैं। यही वाद का कारण है। उक्त दावा इस न्यायालय के ाधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है। दावा पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दरमियाद पेश है। दावा पेश कर निवेदन कि निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे- प्रतिवादीगण के नाम दर्ज तहसील श्रीकरणपुर के चक 3 वी हसील श्रीकरणपुर का इंतकाल संख्या 313 दिनांक 05.05.2016 विधि विरूद्ध होने के कारण इंतकाल निरस्त करते हुए मगनकंवर के नाम दर्ज चक 3 वी के खाता संख्या 51/44 के मु0न0 15 के किला 0 1, 2, 3, 8 ता 13, 17 ता 24 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 4.301 है0 नहरी व मु0 न0 22 क किला 0 1 ता 4 प्रत्येक के 0.253 है0 नहरी कुल 1.012 है0 नहरी भूमि व मु0 न0 27 के किला न0 2,9,10,11,20,21 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 1.771 है0 नहरी भूमि व मु0 न0 34 के किला न0 1, 0, 11, 20, 21 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 1.265 है0 नहरी भूमि खाता की कुल 8.349 है0 यानि 33 घा नहरी भूमि का वादीगण को वसीयत दिनांक 22.04.1992 की रूह से चक 3 वी के मु0 न0 22 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक सालम सालम व मु0 न0 15 के किला न0 13 सालम कुल 5 बीघा वादी ंख्या 1 हेमकंवर के नाम, मु0न0 15 के किला न0 21 ता 24 प्रत्येक सालम सालम वादी संख्या 2 बूटान सिंह के नाम, मु0न0 34 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक सालम सालम, मु0 न0 27 के किला न0 1, 2, 9, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक सालम सालम व मु0 न0 15 के किला न0 11, 12 प्रत्येक सालम सालम वादी संख्या 3 विक्रमजीत सिंह के नाम एवं मु0 न0 15 के किला न 1, 2, 3, 8, 9, 10 प्रत्येक सालम सालम वादी संख्या 4 भागीरथ सिंह के नाम व मु0 न0 15 के किला न0 17 ता 20 प्रत्येक सालम सालम वादी संख्या 5 देवेन्द्र सिंह को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार उपस्थित आये। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। जवाब दावा प्रतिवादीगण के अनुसार दावा की मद संख्या 1 ता स्वीकार है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि यदि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

काल संख्या 313 दिनांक 05.05.2016 चक 3 वी निरस्त किया जाकर वसीयत दिनांक 22.04.1992 रूह से वादीगण के नाम वादगत भूमि खातेदारी दज किये जाने के आदेश दिये जाते है तो हम वादीगण को कोई उज्र व एतराज नही होगा। प्रतिवादीगण के द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। नामा निम्न प्रकार से है:- वादीगण व प्रतिवादीगण का पंचायती राजीनामा हो चुका है। राजीनामा सार यदि उक्त दावा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज इंतकाल संख्या 313 दिनांक 05.2016 चक 3 वी निरस्त किया जाकर वसीयत दिनांक 22.04.1992 की रूह से वादीगण के नाम गत भूमि खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तो प्रतिवादीगण को कोई उज्र एवं एतराज होगा।

तहसीलदार (भू.अ.), श्रीकरणपुर के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावा के अनुसार पत्र की मद संख्या 1 स्वीकार है, मद संख्या 2 राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक स्वीकार है। मद संख्या 3 ईल्मी है। मद संख्या 4 अस्वीकार है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की बैठक में पटवारी हल्का ा पेश इंतकाल को सभी पंचों व पंचायत में आये लोगो को सुनकर अर्थात कौरम पूरा होने पर सम्मति से इंतकाल तस्दीक करता है। मद संख्या 4 अस्वीकार है। वादी द्वारा स्वअर्जित भूमि का कोई र्ड दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। मद संख्या 6 ता 8 लाईल्मी है। मद संख्या 9 ता 10 कानूनी है। तिरिक्त कथन इस प्रकार है- वादी द्वारा कानूनन सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये इंतकाल को रस्त करवाने के लिये माननीय अदालत में अपील दायर करनी चाहिए थी, जबकि धारा 88 के तहत षणात्मक वाद है। अतः जवाब दावा पेश कर अर्ज है कि दावा निरस्त किया जावे।

प्रकरण मे सहमति का जवाब दावा एवं राजीनामा पेश होने के कारण वाद बिन्दु कायम नही ये गये। दोनो पक्षों को सुना गया। दोनो पक्ष प्रस्तुत वाद पत्र अनुसार दावा डिक्री हेतु सहमत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा चक 3 वीं की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2 के खाता संख्या 51/44 के मु0 न0 15, 22,27 व 34 की कुल 8.349 है0 भूमि के संबंध मे दर्ज रासतन इंतकाल संख्या 313 दिनांक 05.05.2016 को खारिज करवाकर मगनकंवर पत्नी प्रताप सिंह की सीयत दिनांक 22.04.1992 के अनुसार इंतकाल दर्ज करवाना चाहते है। **"हिन्दू उत्तराधिकार धिनियम, 1956 की धारा 14 के अनुसार हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पति, चाहे वह इस धिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि रिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी।"** जिस पर प्रतिवादीगण सहमत है। दोनो पक्षो के द्वारा जीनामा पेश किया गया है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 3 वीं की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 51/44 के मु0 न0 15, 22,27 व 34 की कुल 8.349 है0 भूमि के संबंध मे दर्ज विरास्तन इंतकाल संख्या 313 दिनांक 05.05.2016 को खारिज किया जाता है एवं मगनकंवर पत्नी प्रताप सिंह पुत्री मेघ सिंह जाति राजपूत निवासी जोधा का वास रावतसर की वसीयत दिनांक 22.04.1992 के अनुसार जाकर चक 3 वीं की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 51/44 के मु0 न0 15, 22,27 व 34 की कुल 8.349 है0 भूमि मे मु0 नं0 15 के किला नं0 21,22,23,24 कुल 4 बीघा का वादी पाबूदान सिह पुत्र सुरेन्द्र सिह जाति राजपूत निवासी 3 वी ढाणी, मु0 नं0 15 के किला नं0 1,2,3,8,9,10 कुल 6 बीघा का वादी भागीरथ सिह पुत्र सुरेन्द्र सिह जाति राजपूत साकिन 3 वी ढाणी, मु0 नं0 34 के किला नं0 1,10,11,20,21 कुल 5 बीघा व मु0 नं0 27 के किला नं0 1,2,9,10,11,20,21 कुल 7 बीघा तथा मु0 नं0 15 के किला नं0 11,12 की 2 बीघा वादी विक्रमजीत सिह पुत्र सुरेन्द्र सिह जाति राजपूत निवासी 3 वी ढाणी, मु0 नं0 15 के किला नं0 17,18,19,20 कुल 4 बीघा देवेन्द्र सिह पुत्र सुरेन्द्र सिह जाति राजपूत साकिन 3 वी ढाणी, मु0 नं0 22 के किला नं0 1,2,3,4 कुल 4 बीघा व मु0 नं0 15 के किला नं0 13 का 1 बीघा वादी हेमकंवर पत्नी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
करणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

अनवान प्रकरण हेमकंवर आदि बनाम सुरेन्द्र सिह आदि प्रकरण संख्या 95/2018

अन्तर्गत धारा 88,91 आरटीए

सुरेन्द्र सिह जाति राजपूत निवासी 3 वी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की । पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 1.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner